संख्या– 274/USDMA-792(2019)

प्रेषक,

सचिव (प्रभारी)
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादून:दिनांकः 18 मार्च, 2020

विषय– **कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमित व निगरानी में रखे गये व्यक्तियों को लाने व ले जाने हेतु वाह्य स्त्रोतों से वाहनों व्यवस्था पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष में उपलब्ध धनराशि से किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय / महोदया,

जैसा कि आप अवगत हैं कि कोरोना वायरस (COVID-19) के जोखिम से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा उपरान्त विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उक्त वायरस को महामारी घोषित किया गया है। तद्क्रम में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों को सर्तकता का उचित स्तर स्थापित करते हुये यथोचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य के कई जनपद अन्तर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यहाँ भ्रमण के लिये आते रहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वायरस के संक्रमण की यहाँ प्रबल सम्भावनायें हैं।

अतः उक्त वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के साथ–साथ निगरानी में रखे गये व्यक्तियों को लाने व ले जाने हेतु पर्याप्त संख्या में वाह्य स्त्रोतों से किराये के वाहनों की व्यवस्था व उक्त पर व्यय की जाने वाली धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (State Disaster Mitigation Fund) में उपलब्ध धनराशि से करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस. ए. मुरूगेशन)
सचिव (प्रभारी)

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
3. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू.एस.डी.एम.ए., सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, समस्त जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

18/3/2020

(एस. ए. मुरूगेशन)
सचिव (प्रभारी)